राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2700356 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स नं: 0141–2708487

क्रमांक : F.5(4)(118)/RCEE/SWSHE/S.GRANT-2016/ 10608 दिनांक : 8/11/16

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए.
समस्त जिलें।

विषय : शौचालय की साफ–सफाई एवं रखरखाव हेतु विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू. 5000/– प्रति विद्यालय जारी करनें के कम में।

शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनटाईड फण्ड से ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु रू. 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु (माह जुलाई 2016 से अप्रेल 2017 तक हेतु) सत्र 2016–17 में स्वच्छता अनुदान राशि रू. 5000/– प्रति विद्यालय प्रति वर्ष दर से नियंत्रक (वित्त), रा.प्रा.शि.प. द्वारा डी.पी.सी., एस.एस.ए. के खातें में जारी की जा चुकी है। (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला परियोजना समन्वयक 15 नवम्बर 2016 तक यह राशि समस्त ग्रामीण राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रा.मा.शि.प. द्वारा राशि जारी की जा रही है।

स्वच्छता अनुदान की राशि रू. 5000/– विद्यालयों में स्वीकृत स्वच्छता अनुदान की राशि का उपयोग कर शौचालयों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव सुनिश्चित करनें की दृष्टि से निम्नानुसार कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करावें :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता अनुदान की राशि रू. 5000/– प्रति विद्यालय जारी करने की कार्यवाही **दिनांक 15.11.2016** तक अनिवार्य रूप से करावें।
2. जिला स्तर पर विद्यालयों में राशि जारी करने हेतु अति. जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि.) एवं सहायक लेखाधिकारी पारस्परिक समन्वयन द्वारा नियत समयावधि में विद्यालयो तक राशि जारी करनें की कार्यवाही करें। विलम्ब की स्थिति में व्यक्तिशः जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
3. पंचायती राज विभाग से डाईस–2015 के आधार पर जिलेवार ग्रामीण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के अनुरूप राशि प्राप्त हुई है। अतः जिलें में वर्तमान में स्थित वास्तविक ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राशि रू. 5000/– प्रति विद्यालय जारी करें।
4. सुनिश्चित करें कि वर्तमान में जिलें में स्थित का कोई भी विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि से वंचित नहीं रहें। जिलें में ग्रामीण क्षेत्र मे नवीन खुले विद्यालयों में भी यह राशि जारी की जावें।
5. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा जारी सन्दर्भित परिपत्र (प्रति संलग्न) की प्रति जिलें के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

6. विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि का उपयोग किसी भी अन्य मद /कार्य में जिला अथवा विद्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।
7. शिक्षा विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यालय में शौचालय/पेयजल/हाथ धुलाई सुविधाओं का अभाव पाया गया है अथवा स्वच्छता अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई अथवा स्वच्छता अनुदान की प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया तो ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता मौके पर कार्रवाई करवाकर समस्याओं का निराकरण कर विद्यालयों में सुविधाऐ उपलब्ध करानें हेतु फोलो-अप करें।
8. विद्यालय अवलोकन करने वाले अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण पंजिका में स्वच्छता अनुदान के उपयोग तथा शौचालय/मूत्रालय, पेयजल व्यवस्था तथा हाथ धुलाई व्यवस्था की स्थिति अवश्य अंकित की जाए।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) स्वच्छता अनुदान राशि के उपयोग के विद्यालय प्रबन्धन समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त,रा.प्रा.शि.प. SWSHE Cell प्रेषित करेंगे। निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को भिजवाने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) का होगा।
10. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राशि रा.मा.शि.प./डी.पी.सी., आर.एम. एस.ए. के माध्यम से विद्यालयों में हस्तानान्तरण की जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राशि जारी कर बैंक के पुष्टि करवाकर जारी की गई राशि का विवरण 20 नवम्बर 2016 तक रा.प्रा.शि.प. की SWSHE Cell को निम्न प्रारूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें :-

जिला	रा.प्रा.शि.प. से प्राप्त कुल राशि (2014-15 व 2015-16 की शेष तथा 2016-17 हेतु जारी राशि का योग	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की संख्या		जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर पर अधिशेष राशि (यदि है तो)
		परिषद् द्वारा जिनके लिए राशि जारी की गई	जिले द्वारा जिन्हें राशि जारी की गई	

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेनिटेशन ग्रान्ट का उपयोग चालू शैक्षणिक सत्र में अप्रैल, 2017 तक में ही सुनिश्चित करानें हेतु सम्बधित विद्यालयों को निर्देशित करावें।

आयुक्त

प्रतिलिपी सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
5. नियंत्रक (वित्त), रा.प्रा.शि.प., जयपुर
6. उपनिदेशक समस्त संभाग (प्रा.शि. एवं मा.शि.)
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिलें।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिलें।
9. अति. जिला परियेाजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिलें।
10. अति. जिला परियेाजना समन्वयक, रा.मा.शि.अ. समस्त जिलें।
11. श्री रूषभ हिमानी, वॉश स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, जयपुर
12. रक्षित पत्रावली

8.11.16
अतिरिक्त आयुक्त